प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12-6-19 पारित द्वारा श्री मनोज गोयल अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-0565/2019/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 17-12-18 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 111/अपील/17-18 (पूनर्विलोकन की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत्)

मध्यप्रदेश शासन ....आवेदक

विरूद्ध

निर्भय पुत्र मुंगाराम सपेरा

निवासी- ग्राम मकोढ़ा तहसील डबरा ....अनावेदक

जिला ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 0565/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-6-2019	शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरण के पुनर्विलोकन के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के न्यायालय की आदेशिका दिनांक 4-6-18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क पेश किए जाने का अनुरोध किए जाने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने आदेश पारित करने के पूर्व लिखित तर्क पेश करने के निर्देश आवेदक को दिये गये थे । आवेदक की ओर से आदेश पारित किए जाने के पूर्व तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-6-18 को आदेश पारित किया गया है । अत: यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त स्थिति में आयुक्त द्वारा जिन आधारों पर पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, उक्त आधारों पर पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अमान्य किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष रीडर	